



**कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, महाराजगंज**  
**आबकारी विज्ञापित**

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्थायी व्यवस्थापन से अवशेष बची आबकारी दुकानों को दिनांक 01.04.2019 से 14.04.2019 तक 14 दिनों के लिए प्राप्त सर्वोच्च ऑफर पर अथवा दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी से दैनिक आधार पर व्यवस्थित किया जाना है। दैनिक आधार पर संचालन हेतु देशी शराब दुकान के 01 दिन के एम0जी0क्यू0 का निर्धारण वार्षिक एम0जी0क्यू0 को 365 से भाग देकर तथा बेसिक लाइसेंस फीस का निर्धारण निर्धारित एम0जी0क्यू0 में 30 रू0 का गुणाकर तथा विदेशी मदिरा, बीयर तथा भोंग के सन्दर्भ में 01 दिन की लाइसेंस फीस का निर्धारण वार्षिक लाइसेंस फीस में 365 से भाग देकर किया जायेगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा दैनिक व्यवस्थापन हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस के बराबर अथवा अधिक का आफर बन्द लिफाफे में आफर के साथ नवीनतम फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं हैरियत प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये प्रस्तुत करना होगा। दिनांक 01.04.2019 से प्रत्येक दिने 14:00 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी महाराजगंज के कार्यालय में दिया जा सकता है तथा सन्दर्भित दुकान का व्यवस्थापन उसी दिन 16:00 बजे आफर खोलकर किया जायेगा। सफल आवेदक द्वारा आफर में दिये गये विवरण के अनुसार बेसिक/लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि नियमानुसार जमा करनी होगी, जमा के पश्चात् ही दुकान संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। दैनिक आधार पर अनुज्ञापन की अवधि दुकान प्राप्त होने की तिथि से 14.04.2019 तक अथवा दुकान के स्थायी व्यवस्थापन की तिथि जो भी पहले हो, के लिये होगी। दैनिक आधार पर व्यवस्थित होने वाली आबकारी दुकानों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	दुकान कानाम	प्रकार	प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में/लाइसेंस फीस	14 दिन का एम0जी0क्यू0 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में	14 दिन का बेसिक लाइसेंस फीस/ लाइसेंस फीस रू0में	न्यूनतम प्रतिभूति धनराशि	न्यूनतम वॉछित हैसियत / सम्पत्ति धारित प्रमाण पत्र की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मउपाकड वार्ड नं0-23	देशी शराब	न0पा0परि0	78519	3011.69	90350.63	66859.47	126490.88
2	ग्रा0 प0 बत्लोखास	देशी शराब	ग्रामीण	58298	2236.09	67082.63	49641.15	93915.68
3	पटटे चौराहा	देशी शराब	ग्रामीण	57441	2203.22	66096.49	48911.40	92535.09
4	सोहरवलिया	देशी शराब	ग्रामीण	31168	1195.48	35864.55	26539.77	50210.37
5	रा0ग्रा0 करहिया	देशी शराब	ग्रामीण	31537	1209.64	36289.15	26853.97	50804.81
6	निचलौल न0-2 वार्ड नं0-11 लोहियानगर	देशी शराब	न0पंचा0	122997	4717.69	141530.79	104732.79	198143.11
7	वोदना	देशी शराब	ग्रामीण	44206	1695.57	50867.18	37641.71	71214.05
8	ग्रा0 प0 मोहनापुर	देशी शराब	ग्रामीण	33948	1302.12	39063.45	28906.95	54688.83
9	नौतनवा नं0-2 (वार्ड नं0-10)	देशी शराब	न0पा0परि0	39830	1527.73	45831.78	33915.52	64164.49
10	ग्रा0 प0 बरगदवा, बरगदवा नं0-1	देशी शराब	ग्रामीण	24827	952.27	28568.05	21140.36	39995.28
11	ग्रा0 प0 मुडली	देशी शराब	ग्रामीण	19370	742.96	22288.77	16493.69	31204.27
12	कुन्सेरवा	देशी शराब	न0पंचा0	20541	787.87	23636.22	17490.80	33090.71
13	जमुहानी	देशी शराब	ग्रामीण	20797	797.69	23930.79	17708.79	33503.11
14	मंगरहीया	देशी शराब	ग्रामीण	15364	589.30	17679.12	13082.55	24750.77
1	सोहरवलिया	विदेशी मदिरा	ग्रामीण	555000		21287.67	2128.77	21287.67
2	समस्थीरा	विदेशी मदिरा	ग्रामीण	380000		14575.34	1457.53	14575.34
1	बंगला चौराहा	बीयर	ग्रामीण	290000		11123.29	1112.33	11123.29
1	धरमपुर	भोंग	ग्रामीण	5000		191.78	19.18	191.78
2	बेलवाटीकर	भोंग	ग्रामीण	4000		153.42	15.34	153.42
3	खुटहाँ	भोंग	ग्रामीण	6000		230.14	23.01	230.14
4	नदुआ	भोंग	ग्रामीण	6000		230.14	23.01	230.14
5	चौतरवा	भोंग	ग्रामीण	7000		268.49	26.85	268.49
6	भागाटार	भोंग	ग्रामीण	6000		230.14	23.01	230.14
7	निचलौल	भोंग	न0पंचा0	10000		383.56	38.36	383.56
8	लक्ष्मीपुर	भोंग	ग्रामीण	7000		268.49	26.85	268.49
9	पुरन्दरपुर	भोंग	ग्रामीण	7000		268.49	26.85	268.49

उपरोक्त से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से की जा सकती है।

  
जिला आबकारी अधिकारी,  
महाराजगंज।

  
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,  
महाराजगंज।

संख्या 1662-1670 / जि0आ0अधि0 / आ0दुकान / दैनिक आधार / नियमित व्यवस्थापन / 2019-20 / महाराजगंज / दिनांक 31.3.19

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी महाराजगंज की सेवा में जनपद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 2-दैनिक समाचार पत्र हिनदुस्तान एवं स्वतन्त्र चेतना को कम से कम स्थान में प्रकाशित कर बल/बिजक जिला सूचना अधिकारी महाराजगंज से प्रमाणित कराकर भुगतान के लिये प्रेषित करने हेतु।
- 3-क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को प्रचार प्रसार हेतु।
- 4-जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

  
जिला आबकारी अधिकारी  
महाराजगंज